न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

...ना पत्र संख्या 107/2020

दायर दिनांक– 21.09.2020

प्रदीप कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदक

–:: **बनाम** ::–

अनिल कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदक

वकील आवेदक :– श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक :– श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 28–02–2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर अवस्थित है, जो आवेदक के कब्जा काश्त की भूमि है। आवेदक इसमें पुख्ता मकान बनाकर रह रहा है। अनावेदक का इस खसरा नम्बर की भूमि से कोई लेना देना नही है। वादी का अन्य खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 1.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1464/329 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.02 हैक्टर से कोई विवाद भी नही है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का है। अन्य पक्षकारों व आवेदक के मध्य कोई विवाद नही होने के कारण व पक्षकारों की बहुलता को देखते हुये दावा में पक्षकार नही बनाया हैं अगर वादी सभी सहखातेदारों को दावा/प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाता है अन्य पक्षकार अलग–अलग जगह निवास करते है, जिसकी समुचित तामील होना भी असम्भव है, जिसमें न्यायालय का समय बबार्द होता है। आवेदक का दावा/प्रार्थना पत्र पेश करना ही निष्फल हो जाता है।

अनावेदक आवेदक का सगा भाई है जो बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है। बदमाश व्यक्तियों का गिरोह बना रखा है आवेदक की कब्जा शुदा भूमि खसरा नम्बर 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर को खुर्द बुर्द करने, उसकी सीमा तोड़ इसमे से रास्ता निकालने की फिराक में है। अनावेदक दिनांक 15.09.2020 को आवेदक की कब्जा शुदा ... की भूमि में आया तथा आवेदक को एलानिया धमकी दी कि मै भूमि खसरा नम्बर 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर को खुर्द–बुर्द करूंगा इसकी सीमा उखाड़ दूंगा, इसमें से रास्ता निकाल लूंगा आवेदक व अनावेदक के उक्त नाजायज कृत्य के बारे में गांव के मौजीज व्यक्तियों व रिश्तेदारों को बुलाकर अवगत करवाया है। अनावेदक ने आवेदक को पुनः दिनांक 18.09.2020 को कहा कि आप अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी करो, मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Damayanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

यायालय कुछ भी नही है। न्यायालय कागजों में ऐसे ही आदेश करता रहता है। मैं ऐसे आदेशों को ानता हूँ। मै तो मेरी मर्जी के मुताबिक इसको खुर्द–बुर्द करूंगा सीमा उखाड़ दूंगा। इसमें से रास्ता ालूगा, अगर अनावेदक अपनी नाजायज मंशा में सफल होता है तो वादी को भयंकर हक तलफी होगी ावेदक बर्बाद हो जायेगा, जिसका खामियाजा किसी भी तरह से वहन नही हो सकता है। इस प्रकार आवेदक को मजबूर होकर अपने अधिकारों की रक्षार्थ के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो आवेदक को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में सम्भव नही होगी, इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि तादौराने वाद अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम ग्राम नेहरो की ढाणी तन कोलसिया में अवस्थित वादी की कब्जा शुदा काश्त की भूमि खसरा नम्बर नया 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर को खुर्द–बुर्द नही करे, उसकी सीमा नही उखाड़े उसमें से जबरदस्ती रास्ता नही निकाले, ऐसा कार्य प्रतिवादी न तो स्वयं करे न ही अपने दायभागियों नौकरों चाकरों से करवाये मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अनावेदक नम्बर 01 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की सहमति प्रदान की गई।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा अनावेदक नम्बर 1 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सहमति से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निस्तारण होने तक कर्न्फम किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2075–2078 ग्राम खोजास की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 128 पुराना 113 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त भूमि का मोके पर कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है। सहखातेदारी की वादग्रस्त अविभाजित सम्पूर्ण कृषि भूमि में संयुक्त शामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड जिसके हिस्सेदारो के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नही हुआ है। वादग्रस्त उक्त आराजी भूमि को मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर बमुजिब कब्जा काश्त नक्शे व खसरे में अंकित किया जाकर लगान की फाक बन्दी करके जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– ग्राम बुगाला की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 128 पुराना 113 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर आवेदक एव अनावेदक की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त भूमि का मोके पर कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है। खातेदारों के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नही हुआ है। अतः आवेदक विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

सुविधा का संतुलन :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदार आवेदक की होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुगाला की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 128 पुराना 113 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1463/329 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 336 रकबा 1.53 हैक्टर भूमि के मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 21.09.2020 को कन्फर्म की किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:05 IST
Reason: SelfAttested